(For immovable property only)

As per Appendix IV read with rule 8(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002

Whereas, The undersigned being the Authorised offer of the **BANK OF BARODA** under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule 3 of the security interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a demand notice dated 24-04-2017 calling upon the borrower **Abdul Wahid s/o Rafiq Ahmad proprietor of M/S Family Fashion and Guarantors Mr rafiq Ahmad s/o Emanuddin and Mr. Khalid Gahlot s/o Rafiq Ahmad** to Repay the amount mentioned in the notice being **Rs. 1300285.25/- (Thirteen Lakhs Two Hundred Eighty Five and Paise Twenty Five)** together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses and other charges till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice.

The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with rule 8 of the Security Interest Enforcement Rules, 2002 on this the **26th day of June of the year 2018**

The Borrower/Guarantors/Mortgagors in particular and public general public general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda for an amount of **Rs. 1300285.25/- Thirteen Lakhs Two Hundred Eighty Five and Paise Twenty Five)** and interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment.

The borrowers attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act. in respect of time available, to redeem the secured assets.

Description of the Immovable Property

All that part and parcel of the property consisting of Residential property admeasuring area 210.69 Sq mtrs plot Old Khasra No. 1618 Me & New No. 426 Village Sarna Ward No. 12, Mohalla Indirapuri, Muradnagar, Pargana Jalalabad, Tehsil Modinagar, Ghaziabad U.P., In the name of Mr. Rafiq Ahmad with in registration Sub Registrar Modinagar and District Ghaziabad (U.P.)

Bounded as under:

On the East	9 ft. Wide Road
On the West	House of Saifi.
On the North	House of Mr. Umardeen
On the South	Common Rasta

Date: 26/06/2018
Place: Muradnagar

Authorised Officer
Bank of Baroda

पंजीकृत कार्यालयः आईएफसीआई टावर, 61 नेहरु प्लेस
नई दिल्ली–110019
फोनः 011-41732000 / 41792800
वेबसाइटः www.ifciltd.com
CIN : L74899DL1993GOI053677

सूचना

निम्नलिखित आईएफसीआई लांग टर्म इन्फ्रास्ट्रक्चर बाण्ड सीरीज-II, III, IV और V खो/गुम हो गए हैं:–

फोलियो सं.	बांडों की सं.	विकल्प	प्रमाणपत्र सं.	डिस्टिंक्टिव सं. से–तक
2153656	1	II	2071337	423084 - 423084
2059995	4	II	2030511	263008 - 263011
2073496	4	II	2038865	296087 - 296090
2132862	4	II	2062695	389290 - 389293
2109293	4	II	2055113	359399 -359402
2127804	2	II	2060249	379636 - 379637
2080543	4	II	2042655	310914 – 310917
[illegible]002	4	II	2046207	324770 – 324773
2095565	4	II	2050664	342112 – 342115
2114917	4	II	2056671	365492 – 365495
2153937	4	II	2071510	423762 - 423765
[illegible]0202010	4	II	202225	9291-9294

दिनांक: 28.06.2018, स्थान : नई दिल्ली

प्राधिकृत अधिकारी, कॉर्पोरेशन बैंक

राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण
नई दिल्ली में प्रधान पीठ के समक्ष

कम्पनी आवेदन सं. (सीएए) 65/पीबी के 2018
(कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के अंतर्गत)
कम्पनी अधिनियम 2013 के मामले में

तथा

टाटा टेलीसर्विसिस (महाराष्ट्र) लिमिटेड तथा भारती एयरटेल लिमिटेड तथा उसके संबंधित शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की योजना के मामले में

तथा

मामले में :

टाटा टेलीसर्विसिस (महाराष्ट्र) लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय वोल्टास प्रिमिसिस, टी.बी. कदम मार्ग, चिंचपोकली, मुम्बई-400033, महाराष्ट्र में है ...**अंतरक कंपनी**

तथा

भारती एयरटेल लिमिटेड कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय भारती क्रीसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 में है ...**आवेदक कंपनी/अंतरिति कंपनी**

भारती एयरटेल लिमिटेड के अप्रतिभूत लेनदारों की बैठक के आयोजन हेतु अधिकरण की सूचना का विज्ञापन

एतत् द्वारा सूचित किया जाता है कि आदेश तिथि 23 मई, 2018 (**''आदेश''**) के द्वारा नई दिल्ली में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (**''अधिकरण''**) की माननीय प्रमुख पीठ ने निर्देश दिया है कि भारती एयरटेल लिमिटेड (आवेदक कंपनी) के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक आयोजित की जाये जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धाराएं 230 से 232 के अंतर्गत भारती एयरटेल लिमिटेड तथा टाटा टेलीसर्विसिस (महाराष्ट्र) लिमिटेड तथा उनके शेयरधारकों तथा लेनदारों के बीच समझौते की प्रस्तावित योजना (**''योजना''**) पर विचार किया जाये तथा यदि उपयुक्त पाया गया, संशोधन-सहित या उसके बिना उसे स्वीकार किया जाये।

उक्त आदेश तथा उसमें दिये गये निर्देशों के अनुपालन में एतद्द्वारा आगे सूचित किया जाता है कि आवेदक कंपनी के अप्रतिभूत लेनदारों की एक बैठक ओशियन पर्ल रिट्रीट, छतरपुर मन्दिर रोड, सतबारी I, नई दिल्ली-110034 में शुक्रवार, 3 अगस्त, 2018 को अप: 1:30 बजे से 2:30 बजे तक (**''बैठक''**) आयोजित की जायेगी। जिसमें आवेदक कंपनी के उक्त अप्रतिभूत लेनदारों से अनुरोध है कि उस स्थान, दिन, तिथि एवं समय पर उसमें उपस्थित हों।

कम्पनी (समझौता, व्यवस्था एवं समामेलन) नियम, 2016 के नियम 6(3) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 के अंतर्गत कथित योजना की प्रतियां एवं विवरण आवेदक कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय भारती क्रीसेंट, 1, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज, फेस-II, नई दिल्ली-110070 और/या प्लॉट नं. ए8, सैक्टर-4, नोएडा-201301, उत्तर प्रदेश में स्थित इसके अधिवक्ता मैसर्स एजेंडबी एवं पार्टनर्स के कार्यालय से किसी भी दिवस (शनिवार, रविवार, एवं सार्वजनिक अवकाशों को छोड़कर) से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकते हैं।

बैठक में उपस्थित होने तथा मतदान करने के लिए अधिकृत सदस्य व्यक्तिगत् या प्रॉक्सी द्वारा अपना मतदान कर सकते हैं, बशर्ते संबंधित व्यक्ति द्वारा विधिवत् पूर्ण हस्ताक्षरित अथवा सत्यापित निर्धारित प्रपत्र में सभी प्रॉक्सी आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में बैठक के निर्धारित समय से कम-से-कम 48 घंटे पूर्व जमा की जाये। प्रॉक्सी का प्रपत्र जैसा ऊपर वर्णित है आवेदक कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एवं / अथवा अधिवक्तागण के कार्यालय से किसी भी दिन (शनिवार, रविवार तथा सार्वजनिक अवकाश दिवसों को छोड़कर) निःशुल्क प्राप्त की जा सकती है।

माननीय अधिकरण ने श्री जे.पी. सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता को बैठक के, किसी भी स्थगन सहित, अध्यक्ष और उनकी अनुपस्थिति में श्री मनुज नागरथ, अधिवक्ता को बैठक के किसी भी स्थगन सहित, वैकल्पिक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया है। अधिकरण ने श्री पंकज जैन, चार्टर्ड एकाउंटेंट को, भी बैठक के किसी भी स्थगन सहित, पर्यवेक्षक के तौर पर नियुक्त किया है। योजना, यदि बैठक में स्वीकृति की जाती है तो यह माननीय अधिकरण के अनुवर्ती स्वीकृति के अधीन होगी।

भारती एयरटेल लिमिटेड के लिए
ह/–
रोहित कृष्ण पुरी
(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

दिनांक: 2 जुलाई, 2018
स्थान: नई दिल्ली

राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के समक्ष, नई दिल्ली
कंपनी आवेदन सं. (सीएए) 79 (एनडी)/2018
(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230–232 एवं धारा 66 के अंतर्गत)
कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में

एवं

श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तथा श्नाइडर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड तथा उनके सम्बंधित शेयरधारकों और लेनदारों के मध्य व्यवस्था की योजना के मामले में

एवं

श्नाइडर इलेक्ट्रिक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निर्गमित एक कंपनी जिसका पंजीकृत कार्यालय सी–56, मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, फेज–2 नई दिल्ली, पश्चिम, दिल्ली – 110064 स्थित है

...**डिमर्ज कंपनी / आवेदक कंपनी 1**

एवं

श्नाइडर इलेक्ट्रिक प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 2013 के के अंतर्गत निर्गमित एक